

ई-मेल द्वारा



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in

दूरभाष : 0135-2662971 / फ़ैक्स : 2662334

पत्रांक : 05/सू.एवं.लो.सं.वि.(इलै.मी.)-39/2019

दिनांक : 2 मई, 2022

सेवा में,

समस्त चैनल स्वामी
विभाग में सूचीबद्ध क्षेत्रीय समाचार चैनल
देहरादून ।

महोदय,

कृपया सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 430/XXII-I/2021-01(11) 2015 दिनांक 11 दिसम्बर, 2021, जो उत्तराखण्ड इलेक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता (संशोधन) नियमावली 2021 के लागू होने के फलस्वरूप नियमावली के नियम 8 (दो) में निहित प्राविधानों के अंतर्गत विभाग में पूर्व से सूचीबद्ध चैनलों की सूचीबद्धता 6 माह (दिनांक 10 जून, 2022) तक के लिए मान्य/विस्तारित एवं सीमित है। जिन्हें उक्त नियम के अनुसार पुनः सूचीबद्धता आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इस संदर्भ में सूचीबद्धता आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि समाचार चैनल की सूचीबद्धता उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में नियमित रखे जाने हेतु अपना आवेदन समस्त वांछित अभिलेखों सहित यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

(डॉ. अनिल चन्दोला)

अपर निदेशक

संख्या : /सू.एवं.लो.सं.वि.(इलै.मी.)-21/2021-22 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. अनिल चन्दोला)

अपर निदेशक

उत्तराखण्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली के अन्तर्गत चैनल सूचीबद्धता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

क.स.	विवरण		विवरण			
1	चैनल का नाम (जिस चैनल के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका पूरा नाम तथा वह नाम जो टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है।)				
2	चैनल को भारत सरकार से प्रसारण हेतु अनुमति प्राप्त है अथवा नहीं (विवरण अंकित करें, संबंधित प्रमाण पत्र/अपलिकिंग एवं डाउनलिकिंग प्रमाण पत्र संलग्न करें)				
3	चैनल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार में न्यूज चैनल की श्रेणी में अनुज्ञापित हो तथा न्यूनतम एक वर्ष से 24 घंटे प्रसारित हो रहा हो। (पुष्टि हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चैनल को निर्गत प्रमाण-पत्र एवं आवेदक रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित/सत्यापित करते हुए विवरण संलग्न करें।)				
4	चैनल के मूल स्वामी (व्यक्ति/ कम्पनी) का नाम व पता, दूरभाष एवं ईमेल (कम्पनी की स्थिति में सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति यथा MD/CEO का नाम दें)					
5	आवेदक का नाम (यदि आवेदक चैनल के स्वामी से भिन्न हो एवं कोई स्वतंत्र व्यक्ति अथवा कम्पनी हो तो मूल स्वामी अथवा कम्पनी के साथ आवेदक का विधिक पंजीकृत अनुबंध पत्र जो कि आवेदन की तिथि से न्यूनतम 01 वर्ष के लिए वैध हो अथवा यदि आवेदक मूल स्वामी अथवा कम्पनी का प्रतिनिधि है तो नियुक्ति पत्र संलग्न करें)					
6	उत्तराखण्ड पर आधारित प्रतिदिन 30-30 मिनट के न्यूनतम 03 बुलेटिन का विवरण (समयानुसार विवरण प्रस्तुत करें।) संलग्न आवेदन की तिथि से तीन माह पूर्व के न्यूज बुलेटिनों की प्रमाणित फुटेज उपलब्ध करानी होगी।					
7	चैनल का एक वर्ष सीए प्रमाणित आय व्ययक संलग्न तथा आयकर रिटर्न					
8	आवेदित श्रेणी के अनुरूप केबल आपरेटर्स के प्रसारण अनुबंध का विवरण सभी जनपद मुख्यालयों एवं परिशिष्ट "क" में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों के अनुसार					
क.स.	चैनल का नाम	स्थान जनपद मुख्यालय एवं परिशिष्ट 'क' के शहरों के नाम	केबल आपरेटर का नाम/पता	चैनल का नम्बर	अनुबंध की वैधता की प्रति कब से कब तक	अन्य कोई विवरण

(केबल में प्रसारण की सत्यता के सम्बन्ध में चैनल को केबल आपरेटरों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित करवाकर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।) प्रारूप संलग्न

9. DTH का विवरण

क्र.स.	चैनल का नाम	डीटीएच सेवा का नाम	चैनल नम्बर	अनुबन्ध की वैधता कब से कब तक	अन्य कोई विवरण

10. OBvan/Portable LIVE View है/नहीं यदि है तो पोर्टेबल लाइव व्यू की रसीद का विवरण अथवा वैन का पंजीकरण संलग्न करें।

11. डीएवीपी में सूचीबद्ध है/नहीं। यदि है तो अभिलेख संलग्न करें।

12. चैनल के प्रथम प्रसारण की तिथि

(पुष्टि हेतु प्रथम प्रसारण की फुटेज अथवा प्रथम प्रसारण की पुष्टि हेतु अन्य कोई साक्ष्य संलग्न करें।)

13. सूचीबद्धता की स्थिति में विज्ञापनों हेतु किये जाने वाले भुगतान के लिए बैंक खाता का पूर्ण विवरण(PAN/GST सहित)।

(कैन्सल्ड चैक की प्रतिलिपि संलग्न करें)

14. चैनल के आवेदक द्वारा सूचीबद्धता हेतु उपलब्ध कराए जा रहे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गए सभी अभिलेखों/प्रमाण के संदर्भ में रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न प्रारूपों में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

नोट- भविष्य में सूचीबद्ध किये जाने की स्थिति में विभाग से समस्त पत्राचार, टेलिकॉस्ट सर्टिफिकेट का सत्यापन आवेदक द्वारा ही किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में आवेदक को विभाग की अनुमति से उक्त कार्य हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करने की छूट प्रदान की जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम व पता

मोबाईल नम्बर

स्थान

दिनांक

चैनल स्वामी/CEO (जैसा कि आवेदन पत्र के क्रमांक 4 में उल्लिखित है) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मुहर सहित

चैनल स्वामी/CEO का नाम एवं पता

मोबाईल नम्बर

स्थान

दिनांक

शपथ पत्र का प्रारूप चैनल स्वामी/CEO (जैसा कि आवेदन पत्र के क्रमांक 4 में उल्लिखित है) द्वारा ही दिया जायेगा

समक्ष- महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून

मैंपुत्र श्री निवासी
शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सही है।
2. यह कि शपथकर्ताचैनल में के पद पर कार्यरत है।
3. उक्त चैनल भारत सरकार से न्यूज चैनल की श्रेणी में अनुज्ञापित है तथा न्यूनतम एक वर्ष से 24घण्टे प्रसारित हो रहा है।
4. यह कि मेरे द्वारा नियमावली की शर्तों का भली-भांति अध्ययन कर लिया गया है एवं सूचीबद्धता की समस्त शर्तों के पूर्ण होने की दशा में सूचीबद्धता का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त सूचना असत्य पाये जाने पर शपथकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही विभाग द्वारा किये जाने तथा चैनल की सूचीबद्धता समाप्त किये जाने पर शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

(शपथकर्ता का नाम)

पदनाम

पता

चैनल स्वामी/CEO का नाम एवं पता

मोबाईल नम्बर

स्थान

दिनांक

शपथ पत्र का प्रारूप चैनल स्वामी/CEO (जैसा कि आवेदन पत्र के क्रमांक 4 में उल्लिखित है) द्वारा ही दिया जायेगा

समक्ष- महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून

मैंपुत्र श्री निवासी
.....शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सही है।
2. यह कि शपथकर्ताचैनल में के पद पर कार्यरत है।
3. यह कि चैनल द्वारा उत्तराखण्ड पर आधारित न्यूज बुलेटिनों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	उत्तराखण्ड पर आधारित बुलेटिनों समय (30-30 मिनट के)
1	उदाहरण 1. प्रात 6.30 से 7.00 बजे 2. 3. 4.

4. यह कि मेरे द्वारा नियमावली की शर्तों का भली-भांति अध्ययन कर लिया गया है एवं सूचीबद्धता की समस्त शर्तों के पूर्ण होने की दशा में सूचीबद्धता का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
5. सूचीबद्धता की स्थिति में सूचना विभाग द्वारा विज्ञापनों के लिए समस्त भुगतान आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर किया जायेगा तथा भविष्य में इसमें कोई भी परिवर्तन आवेदक द्वारा किया जा सकता है जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. यह कि उपरोक्त सूचना असत्य पाये जाने पर शपथकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही विभाग द्वारा किये जाने तथा चैनल की सूचीबद्धता समाप्त किये जाने पर शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

(शपथकर्ता का नाम)

पदनाम

पता

चैनल स्वामी/CEO का नाम एवं पता

मोबाईल नम्बर

स्थान

दिनांक

शपथ पत्र का प्रारूप जो कि आवेदक द्वारा दिया जायेगा

समक्ष- महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून

मेंपुत्र श्री निवासी

शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सही है।
2. यह कि शपथकर्ताचैनल में के पद पर कार्यरत है।
अथवा यह कि शपथकर्ता काचैनल से विधिक अनुबंध है। जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. चैनल की मूल फर्म द्वारा सूचीबद्धता किये जाने हेतु पूर्णरूप से उन्हे अधिकृत किया गया है।
4. यह कि चैनल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निम्न जनपदों/कस्बों में निम्नलिखित केबिल आपरेटर के माध्यम से चैनल का प्रसारण नियमित रूप से किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जनपद का नाम	जनपद मुख्यालय पर प्रसारित केबिल आपरेटर का नाम	चैनल नम्बर	कस्बों का नाम	कस्बों पर प्रसारित केबिल आपरेटर का नाम	चैनल नम्बर
1	देहरादून।			ऋषिकेश		
				मसूरी		
				विकासनगर		
2	हरिद्वार			रुड़की		
				मंगलौर		
				लक्सर		
				धण्डेरा		
3	उधमसिंहनगर			काशीपुर		
				जसपुर		
				किच्छा		
				नगला		
				सितारगंज		
				बाजपुर		
				खटीमा		
				गदरपुर		
4	नैनीताल			हल्द्वानी		
				काठगोदाम		
5	अल्मोडा			रानीखेत		
6	पौड़ी गढवाल			कोटद्वार		
				श्रीनगर		

7	टिहरी गढवाल			ढालवाला		
8	चमोली			जोशीमठ		
9	चम्पावत			टनकपुर		
10	पिथौरागढ					
11	बगेश्वर					
12	रूदप्रयाग					
13	उत्तरकाशी					
जनपदों में कुल				कस्बों में कुल प्रसारण		

5. यह कि चैनल द्वारा DTH के माध्यम से चैनल का प्रसारण नियमित रूप से किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क.स.	चैनल का नाम	DTH सेवा का नाम	चैनल नम्बर	अनुबन्ध की वैधता कब से कब तक	अन्य कोई विवरण

यह कि उपरोक्त सूचना पूर्णत सत्य है तथा असत्य पाये जाने पर शपथकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही विभाग द्वारा किये जाने तथा चैनल की सूचीबद्धता समाप्त किये जाने पर शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

(शपथकर्ता का नाम)

पदनाम

पता

चैनल स्वामी/CEO का नाम एवं पता

मोबाईल नम्बर

स्थान

दिनांक

शपथ पत्र का प्रारूप जो आवेदक द्वारा भरा जायेगा

समक्ष— महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून

मैं पुत्र श्री निवासी

शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सही है।
2. यह कि शपथकर्ता चैनल में के पद पर कार्यरत है।
3. यह कि यदि भविष्य में चैनल द्वारा दी गई सूचना तथ्य/अन्य दशा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो चैनल की सूचीबद्धता समाप्त किये जाने पर आवेदनकर्ता/शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. भविष्य में उत्तराखण्ड इलेक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली 2015 यथा संशोधित में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत चैनल का प्रसारण होना नहीं पाया जायेगा तो चैनल की सूचीबद्धता समाप्त किये जाने पर आवेदनकर्ता/शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. यह कि चैनल से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये उपरोक्त 01 से 13 तक के सभी अभिलेख पूर्णतया सत्य है। उपरोक्त सूचना असत्य पाये जाने पर विभाग द्वारा शपथकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने तथा चैनल की सूचीबद्धता समाप्त किये जाने पर शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

(शपथकर्ता का नाम)

पदनाम

पता

चैनल स्वामी/CEO का नाम एवं पता

मोबाईल नम्बर

स्थान

दिनांक

केबल नेटवर्क का Letter Head

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चैनल हमारे
केबल नेटवर्क पर चैनल संख्या पर दिनांक नियमित रूप से प्रसारित हो
रहा है।

उपरोक्त चैनल हमारे केबल नेटवर्क के माध्यम से जनपद के स्थानों पर
प्रसारित हो रहा है।

हस्ताक्षर

(केबल नेटवर्क स्वामी का नाम)

पता

मोबाइल नम्बर

सत्यापित

जिला सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर तथा नाम व पदनाम सहित मुहर

स्थान

दिनांक